निग- 4058-PBR-15

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल महोदय, इन्दौर म.प्र.

विनोद पिता माताप्रसाद शुक्ला

निवासी– ग्राम छोटाबांगड़दा तह. व जिला इन्दौर ——प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन तर्फे अधीक्षक भू. अभिलेख इन्दौर ——प्रत्यर्थी

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 52 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत

मान्यवर,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन निम्नानुसार है किः–

1. यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा एक निगरानी कार्यालय अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू. / आदेश दिनांक 14 / 10 / 2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कीं है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4058 –पीबीआर / 15 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–12–2015	आवेदक की ओर से श्री सचिन भावसार, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख, इन्दौर के प्रतिवेदन दिनांक 14–10–15 का अवलोकन किया गया । सीमांकन दल द्वारा अभी केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, और प्रकरण में अन्तिम सीमांकन आदेश पारित नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक का रकबा पूर्ण किया गया है, इसलिए उसका सीमांकन से परिवेदित होना परिलक्षित नहीं होता है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रीमेच्योर एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	